न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 232/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/299)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सुखदीप सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 53 एफ जोरावरसिंहपुरा तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू: 14.07.2023

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज कुमार सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

निर्णय **दिनांक :31.01.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 53 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/78 के मुरब्बा नम्बर 36, 37 की कुल 4.250 हैक्टेयर नहरी भूमि में वादी के पिता के नाम 1.581 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि में वादी के पिता का नाम अजायब सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह अंकित है। लेकिन उनके पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में उनका नाम बलदेव सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह दर्ज है। उक्त वर्णित भूमि में पिता के नाम में भिन्नता होने के कारण पक्षकारान को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण पक्षकारान उक्त नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में कृषि ऋण पर अनुदान प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन हो जाने के कारण जमाबंदी में अंकित नाम व दस्तावेजो में अंकित नाम का मिलान नहीं होने के कारण काफी असुविधाओ का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण भी पक्षकारान उक्त नाम संशोधित करवाने के अधिकारी है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 53 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/78 के मुरब्बा नम्बर 36, 37 की कुल 4.250 हैक्टेयर नहरी भूमि में अजायब सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह के स्थान पर अजायब सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 5419 दिनांक 17.10.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि बलदेव सिंह व अजायब सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है एंव इसे दोनों नामों से जाना जाता था।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सुखदीप सिंह बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्या 232/2023

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 53 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/78 की प्रति, बलदेव सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ग्राम पंचायत 56 एफ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की छायाप्रति, बलदेव सिंह के आधार कार्ड की छायाप्रति, बलदेव सिंह के राशन कार्ड की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 56 एफ के तस्दीक प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 53 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/78 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम अजायब सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह के स्थान पर अजायब सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हलका द्वारा मौके पर पूछताछ की गई व फर्द मौका बनाया गया। उपस्थितजनों ने बताया कि बलदेव सिंह व अजायब सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है एंव इसे दोनों नामों से जाना जाता था। सरपंच ग्राम पंचायत 56 एफ के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार अजायब सिंह उर्फ बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 53 एफ को उक्त नामों से पुकारा व पहचाना जाता है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 56 एफ के द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 53 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/78 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम अजायब सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह के स्थान पर अजायब सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 31.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुखदीप सिंह बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 232/2023

निर्णय दिनांक :- 31.01.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज कुमार सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 53 एफ, पटवार हल्का 56 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 76/78 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम अजायब सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह के स्थान पर अजायब सिंह उर्फ बलदेव सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 31.01.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00
योग	04	00

मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प अरजी	00	
मेहनताना वकील पर	00	
योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दिनांक: 31.01.2024

क्रमांक: रीडर/ 2024/13

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)